R.P.W.D Act December/2016 Registration

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग,
(समाज कल्याण निदेशालय)
द्वितीय तल्ला, इंजीनियरर्स हॉस्टल, सेक्टर–III, धुर्वा, राँची–834004
दूरभाष 0651–2400749, E-Mail Id- swdirectorate.jh@gmail.com

प्रमाण पत्र सं०–19/2020–21

प्रपत्र–5
(देखें नियम 43)
पंजीकरण प्रमाण–पत्र

संस्था (नाम) "जीवन" बस्ताकोला, धनसार, जिला– धनबाद, पिन नं०– 828106 के प्रबंधक (जिसे इसके पश्चात् पंजीकरण प्रमाण–पत्र का धारक कहा गया है) को इसके द्वारा दिनांक– 08.02.2021 से 07.02.2027 तक (दोनों दिन शामिल) की अवधि के दौरान उक्त संस्थान की स्थापना अनुरक्षण के लिए पंजीकरण प्रमाण–पत्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 51 (झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2018) तथा उसके नियमों के उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत जारी आदेश के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो पर दिया जाता है, अर्थात्

1. पंजीकरण प्रमाण–पत्र धारक संस्थान के आवासियों को ये सुविधाएँ प्रदान करेगा :–
   (क) पौष्टिक एवं पर्यात भोजन
   (ख) पर्याप्त आवास–स्थान एवं स्वच्छता
   (ग) उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल एवं उपचार
   (घ) मनोरंजन की सुविधाएँ
   (ङ) शिक्षा एवं व्यावसायिक या रोजगार प्रशिक्षण
2. लड़कियों के लिए आवासीय परिसर लड़को के आवसीय परिसर से अलग होंगे।
3. पंजीकरण प्रमाण–पत्र धारक न तो स्वयं और न हीं किसी अन्य व्यक्ति को तथा संस्थन आवासों को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए लगाएगा।
4. पंजीकरण प्रमाण–पत्र धारक एक दंड रजिस्टर रखेगा तथा ऐसी स्थिति में उसमें दर्ज करेगा।
   (क) आवासीय का नाम
   (ख) दंड के कारण
   (ग) दंड का स्वरुप तथा अवधि
5. प्रबंधक एक आगन्तुक पुस्तिका तैयार करवाएगा जिसमें संस्थान के निरीक्षण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्थान के निरीक्षण का अभिलेख रखा जायेगा। प्रबंधक, लाइसेंस प्राधिकारी को उक्त पुस्तिका में रिकार्ड अभियुक्तियों यदि कोई है, की एक प्रति दौरे की तिथि से सात दिन के भीतर भेजेगा।
6. प्रबंधक आय तथा व्यय की लेखा–पुस्तिकाओं तथा उपभोज्य वस्तुओं की स्टॉक पुस्तिकाओं का रख–रखाव निर्धारित प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर निर्धारित रुप में पुस्तकों तथा रजिस्टरों में करेगा।
7. पंजीकरण प्रमाण–पत्र धारक सक्षम प्राधिकारी या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को जाँच करने के जिए सभी सुविधाएँ उपलब्ध करवाएगा, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के उपबंधों के अनुसार होगा।

A. K. Sinh
Secretary
JEEVAN, DHANS

8. प्रमाण–पत्र, प्रबंधक के कार्यालय में स्पष्ट दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

9. पदाधिकारी में किसी भी परिवर्त्तन की सूचना सक्षम अधिकारी को तत्काल दी जाएगी।

10. पंजीकरण प्रमाण–पत्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के उपबंधों तथा पंजीकरण प्रमाण–पत्र शर्तो, नियमों तथा इसके अन्तर्गत सभी आदेशों का पालन करेगा। पंजीकरण प्रमाण–पत्र इस शर्त्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख अगर बाद में असत्य पाये गये तो ऐसी स्थिति में संस्था का निबंधन समाप्त कर दिया जायेगा।

ज्ञापांक– 286 दिनांक– 08-02-2021

08.02.21

निदेशक
समाज कल्याण
झारखण्ड, राँची

सक्षम पदाधिकारी

नवीकृत

दिनांक–.................................... से .... तक

सक्षम पदाधिकारी

नवीकृत

दिनांक–.................................... से .... तक

सक्षम पदाधिकारी

नवीकृत

दिनांक–.................................... से .... तक

सक्षम पदाधिकारी

A. K. Singh
Secretary
JEEVAN, DHANB...